

# धार्मिक सोसाइटी अधिनियम, 1880

)1880 का अधिनियम संख्यांक 1<sup>(1)</sup>

[9 जनवरी, 1880]

धार्मिक सोसाइटियों को कतिपय शक्तियां  
प्रदान करने के लिए  
अधिनियम

**उद्देशिका**—यह समीचीन है कि उस रीति को सरल बनाया जाए जिसमें धार्मिक उपासना जारी रखने के प्रयोजन के लिए सहमेलित व्यक्तियों के कतिपय निकाय ऐसे प्रयोजन के लिए अर्जित सम्पत्ति धारण कर सकें, तथा ऐसे निकायों के विघटन तथा उनके कामकाज के समायोजन के लिए तथा ऐसे निकायों से संबंधित कतिपय प्रश्नों के विनिश्चय के लिए उपबंध किया जाए;

अतः एतद्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :—

**1. संक्षिप्त नाम**—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम धार्मिक सोसाइटी अधिनियम, 1880 है।

**स्थानीय विस्तार**—<sup>2\*\*\*</sup> इसका विस्तार <sup>3</sup>[उन राज्यक्षेत्रों के सिवाय जो 1 नवम्बर, 1956 के ठीक पहले भाग ख राज्यों में समाविष्ट थे] सम्पूर्ण भारत पर है,

किन्तु इसमें अन्तर्विष्ट कोई बात हिन्दुओं, मुसलमानों या बौद्धों को अथवा किन्हीं ऐसे व्यक्तियों को लागू नहीं होगी जिन्हें राज्य सरकार, समय-समय पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रवर्तन से अपवर्जित करे।

**2. उन मामलों में नए न्यासी की नियुक्ति जिनके लिए अन्यथा उपबन्ध नहीं किया गया है**—जब धार्मिक उपासना जारी रखने के प्रयोजन के लिए सहमेलित व्यक्तियों के किसी निकाय ने कोई सम्पत्ति अर्जित की है या वह इसके पश्चात् अर्जित करता है,

तथा ऐसी सम्पत्ति ऐसे निकाय के लिए न्यास के रूप में न्यासियों में निहित की गई है या इसके पश्चात् की जाती है,

तथा यह आवश्यक हो जाता है कि किसी ऐसे न्यासी के स्थान में या उसके अतिरिक्त या इसके पश्चात् विहित रीति से नियुक्त किसी न्यासी के स्थान में कोई नया न्यासी नियुक्त किया जाए,

तथा ऐसे नए न्यासी को नियुक्त करने की कोई रीति किसी ऐसी लिखत द्वारा विहित नहीं की गई है जिसके द्वारा ऐसी सम्पत्ति इस प्रकार निहित की गई थी अथवा जिसके द्वारा वे न्यास जिन पर वह धारित है, घोषित किए गए हैं, अथवा ऐसा नया न्यासी इस प्रकार विहित रीति से किसी कारण नियुक्त नहीं किया जा सकता,

तब ऐसा नया न्यासी ऐसी रीति से नियुक्त किया जा सकेगा जिस पर वह निकाय अथवा उस अधिवेशन में जिसमें वह नियुक्त की जाती है, ऐसे निकाय के वस्तुतः उपस्थित सदस्यों का दो तिहाई से अन्यून बहुमत सहमत हो।

**3. धारा 2 के अधीन नियुक्ति का अधिवेशन के अध्यक्ष के हस्ताक्षर से ज्ञापन में अभिलिखित किया जाना**—धारा 2 के अधीन नए न्यासियों की प्रत्येक नियुक्ति उस अधिवेशन के जिसमें ऐसी नियुक्ति की जाती है तत्समय अध्यक्ष के हस्ताक्षर से किसी ज्ञापन द्वारा प्रकाशित कराई जाएगी।

ऐसा ज्ञापन इससे उपाबद्ध अनुसूची में उपवर्णित प्ररूप में या उन परिस्थितियों में यथासाध्य निकटतम प्ररूप में होगा तथा दो या अधिक विश्वसनीय साक्षियों द्वारा ऐसे अधिवेशन में निष्पादित और अनुप्रमाणित किया जाएगा तथा ऐसा दस्तावेज समझा जाएगा जिसका रजिस्ट्रीकरण भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1877<sup>4</sup> (1877 का 37) की धारा 17 द्वारा अपेक्षित है।

**4. नए न्यासियों में सम्पत्ति का अभिहस्तान्तरण के बिना निहित होना**—जब किन्हीं नए न्यासियों की नियुक्ति चाहे यथापूर्वोक्त किसी लिखत द्वारा विहित रीति से या इसमें इसके पूर्व उपबंधित रीति से की जा चुकी है तब न्यासाधीन सम्पत्ति ऐसी किसी लिखत में किसी बात के होते हुए भी किसी अभिहस्तान्तरण या अन्य हस्तान्तरण पत्र के बिना ऐसे नए न्यासियों और पुराने जारी रहे न्यासियों में संयुक्ततः या यदि कोई पुराने जारी रहे न्यासी नहीं हैं तो पूर्णतः ऐसे नए न्यासियों में उन्हीं न्यासों पर तथा उन्हीं शक्तियों और उपबन्धों के सहित और अधीन तुरन्त निहित हो जाएगी जैसे वह पुराने न्यासियों में निहित थी।

**5. नियुक्ति और अभिहस्तान्तरण के वर्तमान ढंगों की व्यावृत्ति**—इसमें अन्तर्विष्ट किसी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह नए न्यासियों की किसी नियुक्ति या किसी सम्पत्ति के किसी अभिहस्तान्तरण को अविधिमान्य करती है जो इसके पश्चात् किया जाए जैसा कि इसके पूर्व विधि द्वारा अपेक्षित था।

<sup>1</sup> इस अधिनियम का 1963 के विनियम सं० 6 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा (1-7-1965 से) दादरा और नागर हवेली में और 1968 के अधिनियम सं० 26 और अनुसूची द्वारा पाण्डिचेरी संघ राज्यक्षेत्र पर विस्तार और प्रवृत्त किया गया।

<sup>2</sup> “यह तुरन्त प्रवृत्त होगा और” शब्द 1914 के अधिनियम सं० 10 की धारा 3 और अनुसूची 2 द्वारा निरसित।

<sup>3</sup> विधि अनुकूलन (सं० 2) आदेश, 1956 द्वारा “भाग ख राज्यों के सिवाय” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>4</sup> अब भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) देखिए।

**6. सोसाइटियों के विघटन और उनके कामकाज के समायोजन के लिए उपबन्ध**—यथापूर्वोक्त किसी निकाय के सदस्यों के तीन-बटा-पांच से अन्यून कितने ही सदस्य उस प्रयोजन के लिए बुलाए गए किसी अधिवेशन में यह अवधारित कर सकेंगे कि वह निकाय विघटित कर दिया जाए; तथा तब वह तुरन्त अथवा तभी तय पाए गए किसी समय पर विघटित कर दिया जाएगा; तथा ऐसे निकाय की सम्पत्ति तथा उसके दावों और दायित्वों के व्ययन और व्यवस्थापन के लिए सभी ऐसे आवश्यक कदम उठाए जाएंगे जो ऐसे निकाय के उस बाबत लागू नियमों के यदि कोई हों, अनुसार हैं और यदि न हों तो, जैसा ऐसा निकाय ऐसे अधिवेशन में अवधारित करे :

परन्तु ऐसे निकाय के सदस्यों के बीच कोई विवाद होने की दशा में उसके कामकाज का समायोजन, उस जिले के जिसमें ऐसे निकाय का मुख्य भवन स्थित है, आरंभिक अधिकारिता वाले प्रधान सिविल न्यायालय को निर्देशित किया जाएगा तथा न्यायालय उस मामले में ऐसा आदेश देगा जैसा वह ठीक समझता है।

**7. विघटन पर किसी सदस्य को लाभ प्राप्त न होना**—यदि ऐसे किसी निकाय के विघटन पर, उसके सभी ऋणों और दायित्वों की तुष्टि के पश्चात् कोई भी सम्पत्ति बच जाती है तो वह ऐसे निकाय के सदस्यों के बीच या उनमें से किसी को संदत्त या वितरित नहीं की जाएगी किन्तु धार्मिक उपासना या कोई अन्य धार्मिक या पूर्ण प्रयोजन जारी रखने के प्रयोजन के लिए सहमेलित व्यक्तियों के किसी ऐसे अन्य निकाय को दी जाएगी जो इस निमित्त बुलाए गए अधिवेशन में उपस्थित सदस्यों के तीन-बटा-पांच से अन्यून मतों द्वारा अथवा उसके अभाव में यथा अंतिम पूर्वोक्त न्यायालय द्वारा अवधारित किया जाए।

**8. लिखतों के कुछ उपबन्धों की व्यावृत्ति**—धारा 6 और धारा 7 की किसी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह ऐसे निकाय के विघटन के लिए अथवा ऐसी सम्पत्ति के संदाय या वितरण के लिए किसी लिखत में अन्तर्विष्ट किसी उपबन्ध को प्रभावित करती है।

**9. प्रश्नों का उच्च न्यायालय को प्रस्तुत किया जा सकता**—जब कोई प्रश्न या तो इसमें इसके पूर्व निर्दिष्ट विषयों के सम्बन्ध में या अन्यथा इस बाबत कि क्या कोई व्यक्ति यथापूर्वोक्त किसी निकाय का सदस्य है या इस बाबत कि क्या इस अधिनियम के अधीन कोई नियुक्ति विधिमाम्य है, पैदा होता है तब ऐसे प्रश्न में हितबद्ध कोई व्यक्ति अर्जी द्वारा उच्च न्यायालय में ऐसे प्रश्न पर उसकी राय के लिए आवेदन कर सकेगा। ऐसी अर्जी की उस प्रश्न में हितबद्ध ऐसे अन्य व्यक्तियों पर जिन्हें न्यायालय ठीक समझता है तामील की जाएगी और वे उसकी सुनवाई में उपस्थित हो सकेंगे।

इस धारा के अधीन किसी आवेदन पर न्यायालय द्वारा दी गई किसी राय को घोषणात्मक<sup>1</sup> डिक्री का बल प्राप्त होगा।

इस धारा के अधीन प्रत्येक आवेदन के खर्चे न्यायालय के विवेकाधीन होंगे।

### अनुसूची

#### (धारा 3 देखिए)

\_\_\_\_\_ में स्थित (चर्च, चैपल या अन्य भवनों और सम्पत्ति का वर्णन कीजिए) के नए न्यासियों की नियुक्ति का ज्ञापन जो उस प्रयोजन के लिए सम्यक्तः बुलाई गई और (उक्त \_\_\_\_\_ के \_\_\_\_\_ कक्ष में) \_\_\_\_\_ के क ख \_\_\_\_\_ की अध्यक्षता में 19 \_\_\_\_\_ के \_\_\_\_\_ के \_\_\_\_\_ दिन अधिविष्ट बैठक में की गई।

18 \_\_\_\_\_ के \_\_\_\_\_ के \_\_\_\_\_ दिन किए गए न्यासियों के गठन या उनकी नियुक्ति पर सब न्यासियों के नाम और वर्णन।

(यहां लिखिए)

उन सब न्यासियों के नाम और वर्णन जिनमें उक्त \_\_\_\_\_ (चैपल और सम्पत्ति) अब वैध रूप में निहित हो गई है।

प्रथम—पुराने जारी रहे न्यासी

(यहां उनके नाम लिखिए)

द्वितीय—अब चुने और नियुक्त किए गए नए न्यासी।

(यहां उनके नाम लिखिए)

तारीख 18 \_\_\_\_\_ के \_\_\_\_\_ का \_\_\_\_\_ दिन।

उक्त क ख द्वारा, उक्त बैठक के अध्यक्ष के रूप में पूर्वोक्त दिन और वर्ष और उक्त बैठक में निम्नलिखित की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए।

ग० घ०

क० ख०

ङ० च०

उक्त बैठक का अध्यक्ष

<sup>1</sup> घोषणात्मक डिक्री के प्रभाव के बारे में, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 35 देखिए।